न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– कैलाश चन्द्र शर्मा आर.ए.एस.

अनवान :– राजस्व वाद संख्या 87/2016

1. राजपाल पुत्र श्री सुलतान राम जाति स्वामी निवासी मकान नम्बर 1153 अग्रसेन नगर श्रीगंगानगर।

—— वादी

—:: बनाम ::—

1. श्रीमती सुन्दर देवी पत्नी श्री मोहनलाल भादू जाति जाट निवासी मकान नम्बर 19 कैलाशपुरी बालाजीधाम के पास चक 5 ई छोटी श्रीगंगानगर।
2. श्रीमती सुनीता पुत्री श्री मोहनलाल पत्नी श्री भागीरथ जाति जाट निवासी वाटर वर्क्स के पास लालगढ़ जाटान तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
3. श्रीमति अनिता पुत्री श्री मोहनलाल पत्नि श्री धर्मेन्द्र जाति जाट निवासी भट्टू कलां तहसील व जिला फतेहाबाद।
4. श्रीमती ललीता पुत्री श्री मोहनलाल पत्नी श्री विनोद तोमर जाति जाट निवासी 2 एम. एल. (नेहरू कालोनी) तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
5. श्रीमती बबीता पुत्री श्री मोहनलाल पत्नी श्री विरेन्द्र ढ़ाका जाति जाट निवासी 1 जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
6. श्रीमती ममता पुत्री श्री मोहनलाल पत्नी श्री रणवीर सिंह बैनीवाल जाति जाट निवासी जसाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़
7. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर।

—— प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88, 53 आर.टी.ए. बाबत घोषणा व खाता तकसीम

—:: उपस्थित अभिभाषक ::—

1. श्री संजय कुमार जवनेजा अधिवक्ता — वादी
2. श्री राजेश गुम्बर अधिवक्ता — प्रतिवादीगण

— :: निर्णय ::—

दिनांक :– 19-10-16

वादी द्वारा दिनांक 18.05.2016 को जरिये अधिवक्ता प्रतिवादीगण के विरूद्ध यह वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, आर.टी.ए. के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रतिवादी संख्या 1 के पति व 2 ता 6 के पिता श्री मोहनलाल पुत्र श्री हरदयाल जाति जाट साकिन 11 एल.एन.पी. तहसील व जिला श्रीगंगानगर व वादी राजपाल पुत्र श्री सुलतानाराम के नाम से संयुक्त खाता में वाके चक 16 एम.एल. तहसील व जिला श्रीगंगानगर का खाता संख्या 79/50 का मुरब्बा नम्बर 17 का किला नम्बर 4 व 5 की कुल 0.506 हैक्टर नहरी मय गैर मुमकिन आबादी भूमि दर्ज कागजात माल है। जिसमें वादी राजपाल के नाम से 0.310 हैक्टर कृषि भूमि संयुक्त खाता में दर्ज कागजात माल है।

उक्त कुल 0.506 हैक्टर रकबा में से किला नम्बर 4 का 0.174 हैक्टर नहरी रकबा व किला नम्बर 5 का 0.136 हैक्टर नहरी मय गैर मुमकिन आबादी रकबा जिसमें से 0.031 हैक्टर नहरी व 0.105 हैक्टर गैर मुमकिन आबादी है कुल 0.310 हैक्टर रकबा वादी द्वारा प्रतिवादीगण के पति/पिता श्री मोहनलाल से जरिये बैयनामा खरिद किया था। तथा बैयनामा के अनुसार वादी किला नम्बर 4 के 0.174 हैक्टर नहरी व किला नम्बर 5 के 0.136 हैक्टर नहरी मय गैर मुमकिन रकबा पर काबिज चला आ रहा है।

लगातार 2

उपखण्ड अधिकारी
श्री गंगानगर

वादी अपनें हिस्सा की भूमि में सुधार कार्य व भू.रूपान्तरण आदि करवाना चाहता है, मगर राजस्व रिकार्ड में भूमि मुश्तरका खाता में दर्ज होने से वह ना तो सुधार कार्य करवा पा रहा है, तथा ना ही भू.रूपान्तरण करवानें में समर्थ है। इसलिये वादी उक्त वर्णित कब्जानुसार/बैयनामा अनुसार बंटवारा करवाकर राजस्व रिकार्ड में किला वाईज दर्ज करवानें व अलग खाता विभाजन कायम करवाना चाहता है, जिसका वादी अधिकारी है।

रकबा वादी एवम् प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के पिता श्री मोहनलाल के नाम से मुश्तर्का खाता में है, श्री मोहनलाल का देहान्त हो चुका है। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 जायज एवम् वैधानिक वारिस है अन्य कोई वारिस नहीं है। वादी द्वारा प्रतिवादीगण को अलग–अलग खाता कायम करवाने के लिये कई बार आग्रह करनें पर दिनांक 10.05.2016 को इन्कार करनें के कारण वाद प्रस्तुत किया जाकर वाद वादी स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण के खिलाफ निम्नानुसार डिक्री पारित किये जानें हेतु निवेदन किया है।

चक 16 एम.एल. तहसील व जिला श्रीगंगानगर का खाता संख्या 79/50 का मुरब्बा नम्बर 17 की 0.506 हैक्टर नहरी मय गैर मुमकिन आबादी भूमि का बंटवारा किया जाकर किला नम्बर 4 का 0.174 हैक्टर नहरी रकबा व किला नम्बर 5 का 0.136 हैक्टर नहरी मय गैर मुमकिन आबादी रकबा जिसमें से 0.031 हैक्टर नहरी व 0.105 हैक्टर गैर मुमकिन आबादी है कुल 0.310 हैक्टर रकबा का वादी को खातेदार घोषित कर वादी के नाम से राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिऐ सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण द्वारा जरिये अधिवक्ता दिनांक 03.06.2016 को इकबाली जबाब दावा पेश कर वाद पत्र में चाहा गया अनुतोष स्वीकार किया तथा दिनांक 04.10.2016 को राज पैरोकार द्वारा जबाब स्टेट प्रस्तुत कर कथन किया की उपरोक्त वाद में भूमि विवाद पक्षकारान के मध्य है, राज्य सरकार से कोई अनुतोष नहीं चाहा है। राज्य हितो को मध्य नजर रखते हुए निस्तारित किये जानें हेतु आवेदित है।

चुँकि प्रकरण में वादीगण एवम् प्रतिवादी के मध्य कोई प्रतिवाद नहीं होनें से तनकियात नहीं बनाई गई वादी द्वारा कोई साक्ष्य पेश नहीं करनें का अनुरोध किये जानें पर दिनांक 04.10.2016 को उभयपक्ष की बहस सुनी गई दौरानें बहस उभयपक्ष के विद्धान अधिवक्तागणों द्वारा अपनें अपनें वाद पत्र और इकबाली जबाब दावा के अनुसार विभाजन करनें में किसी प्रकार की कोई आपत्ति जाहीर नहीं करते हुए वादी द्वारा चाहे गये अनुतोष के अनुसार वाद डिक्री किये जानें हेतु कथन किया।

उभयपक्ष के विद्धान अधिवक्तागण की बहस पर मनन करनें तथा पत्रावली व प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, 53 के अन्तर्गत गैर मुमकिन भूमि का विभाजन स्वीकार नहीं किया जा सकता अतः कृषि भूमि के विभाजन हेतु वाद वादी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, 53 के अन्तर्गत स्वीकार किया जाकर वादी एवम् प्रतिवादीगण के मध्य निम्नानुसार कृषि भूमि का विभाजन किया जाकर डिक्री की जाती है :–

1. वादी राजपाल पुत्र श्री सुलतान राम जाति स्वामी निवासी मकान नम्बर 1153 अग्रसेन नगर श्रीगंगानगर का 0.205 हैक्टर नहरी रकबा :–

चक नम्बर	मुरब्बा नम्बर	किला नम्बर	कुल भूमि
16 एम.एल.	14	4/.174 5/.031 नहरी,	0.205 हैक्टर

उप खण्ड अधिकारी
श्री गंगानगर

लगातार 3

2. प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 श्रीमती सुन्दर देवी पत्नी श्री मोहनलाल भादू जाति जाट निवासी मकान नम्बर 19 कैलाशपुरी बालाजी धाम के पास चक 5 ई छोटी श्रीगंगानगर, श्रीमती सुनीता पुत्री श्री मोहनलाल पत्नी श्री भागीरथ जाति जाट निवासी वाटर वर्क्स के पास लालगढ़ जाटान तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर, श्रीमति अनिता पुत्री श्री मोहनलाल पत्नि श्री धर्मेन्द्र जाति जाट निवासी भट्टू कलां तहसील व जिला फतेहाबाद, श्रीमती ललीता पुत्री श्री मोहनलाल पत्नी श्री विनोद तोमर जाति जाट निवासी 2 एम.एल. (नेहरू कालोनी) तहसील व जिला श्रीगंगानगर।, श्रीमती बबीता पुत्री श्री मोहनलाल पत्नी श्री विरेन्द्र ढ़ाका जाति जाट निवासी 1 जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर, श्रीमती ममता पुत्री श्री मोहनलाल पत्नी श्री रणवीर सिंह बैनीवाल जाति जाट निवासी जसाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ का 0.111 हैक्टर नहरी रकबा :–

चक नम्बर	मुरब्बा नम्बर	किला नम्बर	कुल भूमि
16 एम.एल.	14	4/.079 5/.032 नहरी,	0.111 हैक्टर

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार ही राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे।

खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। नियमानुसार स्टाम्प डयुटी प्रस्तुत किये जानें पर आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

यह आदेश आज दिनांक 19-10-16 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कैलाश चन्द्र शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर